ALL INDIA COORDINATION COMMITTEE OF COMMUNIST REVOLUTIONARIES (AICCCR)

PROLETARIANS OF ALL COUNTRIES, UNITE! **LONG LIVE THE REVOLUTION!**

सभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एक अपील

22 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित

हमारा समाज आज एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति में है| इस संकट का सबसे बुरा असर मजदूर वर्ग और मेहनतकश आबादी को झेलना पड़ रहा है जिनका जीवन, जीविका और स्वतन्त्रता खतरे में है| यह कयास लगाये जा रहे है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर भविष्य में लंबे समय तक बना रहेगा| फिर भी, इसके दुष्प्रभावों को लेकर विशिष्ट तत्कालिक चिंताएँ हैं| वैसे तो, मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता विभिन्न विषम परिस्थितियों में अवस्थित है, लेकिन उनके अनुभवों में एक समानता भी है| हाल के सप्ताहों में मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता को अभूतपूर्व कष्ट और कठिनाई सहनी पड़ी है| इसके कारण खाद्य दंगे, नागरिक-पुलिस संघर्ष, विरोध-प्रदर्शन और प्रवासी मजदूरों के अपने गाँव जाने के लिए पुरजोर दावे सामने आ रहे हैं| सत्ता में बैठी केंद्र और राज्य-सरकारों ने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया है और वह सिर्फ नाम-मात्र के राहत कार्य में लिप्त है| राज्य के कई अंगों (दमनकारी अंगों को छोड़कर) का संस्थागत पतन हुआ है और मेहनतकश जनता में सुगबुगाहट है|

मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता बड़े स्पष्ट तौर पर महामारी और लॉकडाउन के दोहरे संकट पर अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़ाहिर कर रही है| चारों ओर एक-दूसरे से कटे-हुए विरोध उमड़ रहे हैं| अपने आप में महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद यह संघर्ष सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति (राज्य) के विस्तार के बराबर व्यापकता अख़्तियार करने में असफल रहे हैं| इस शक्ति का विरोध मजदूरों के जीवन और जीविका के लिए बेहद ज़रूरी है| क्रांतिकारियों की पीढ़ियों ने क्रांति की अभिलाषाएँ रखी हैं, लेकिन अभूतपूर्व संकट के इस दौर में वह खुद को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं पा रहे हैं| विरोधों का उत्प्रेरक होने से लेकर विभिन्न कटे-हुए संघर्षों को समन्वित करने और 'राष्ट्रीय-लोकसम्मत' आकांक्षाओं के लिए मसौदा तय कर करने के लिए, ऐसी संगठित ताकत की जरुरत है जो आम जनता की जरूरतों और सामूहिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हुए शोषित-उत्पीड़ित बहुसंख्यकों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके| यहाँ ऐसी क्रांतिकारी ताकत की कमी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है| साथ ही, परिस्थितियाँ बार-बार साबित करती रही हैं कि एक क्रांतिकारी स्थिति स्वयं क्रांति की वाहक नहीं हो सकती| न ही मजदूरों की तत्काल स्थिति और जरूरत को नज़रअंदाज करते हुए दूरगामी माँगें उठाकर क्रांति को संभव बनाया जा सकता है|

ऐसे प्रयासों की निरंतर सख्त आवश्यकता है जो मजदूर वर्ग के प्रतिरोध की क्षमता को, और राज्य व उच्च वर्गों के संबंध में उसकी अवस्थिति को आगे बढ़ाएँ| आज जब भारतीय वामपंथ के येचुरी, राजा और भट्टाचार्य संघर्ष के मैदान से नदारद

हैं, तब कार्यकर्ताओं को अपनी सहूलियतों के अनुरूप पहलकदमियाँ लेने के लिए छोड़ दिया गया है| ज़्यादातर पहलकदमियाँ सिर्फ दान इकट्ठा करने और परोपकार के अन्य रूपों तक ही सिमट गयी हैं, जो अमीरों के वर्ग आधिपत्य को सुदृढ़ कर इस व्यवस्था की आलोचना करने में पूर्णतः विफल साबित हुई हैं| इस तरह के दान मजदूरों में हकदारी की भावना जगाने की बजाए आज्ञापरायणता को पुनरुत्पादित करते हैं| मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता जब संकट के दौर में घिरी हुई है, तब ऐसे परोपकार और दान-कार्य मजदूरों के स्व-संगठन, संगठित सामूहिक कार्रवाई और परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत को विफल करते हैं|

मौजूदा संकट को उसकी व्यापकता में समझने, व पूंजी तथा राज्य के संयुक्त हमले के खिलाफ मजदूर वर्ग की वांछित क्षमता-निर्माण की ज़रूरत के दृष्टिकोण से समझने में पार्टियों और समूहों में असमर्थता दिखती है| नेताओं को प्रभुत्त्वशाली विचारों के वैचारिक खांचे के भीतर सोचने की आदत हो गई है| प्रभुत्वशाली वर्ग के दृष्टिकोणों को पुनरुत्पादित करके वह वास्तविक या निर्मित संकटों का विश्लेषण करते हैं| इसके परिणामस्वरूप चीजों को जानने और समझने के हमारे तरीके प्रभुत्त्वशाली विचारधारा द्वारा नियंत्रित होते है| आज के संदर्भ में, कई और मुद्दों के साथ-साथ नेतृत्व महामारी से जुड़ी राजनीति का पर्दाफाश करने में भी विफल रहे हैं| उन्होने यह पूर्णतः नज़रअंदाज़ किया है कि किस तरह वर्ग, क्षेत्र और अन्य सामाजिक संदर्भ बीमारियों के 'वैज्ञानिक' अनुसंधान को प्रभावित करते हैं| साथ ही, मुख्यधारा के महामारी-विज्ञान द्वारा लाखों लोगों की जानें लेने वाली कई व्याप्त और मूक महामारियों अनदेखा किए जाने के बावजूद उसकी कलई खोलने में संगठित वामपंथ विफल रहा है| सरकारी और वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों से पोषित रोग-निगरानी प्रणाली द्वारा दी जाने वाली 'जानकारी' की गैर-आलोचनात्मक स्वीकृति व्याप्त है| इसके विपरीत, मेहनतकश गरीबों और गरीब क्षेत्रों में व्याप्त प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थितियों को इस लापरवाह रोग निगरानी प्रणाली द्वारा *अज्ञात* छोड़ दिया जाता है| जहां वैज्ञानिक समुदाय द्वारा कुछ बीमारियों को महामारी घोषित कर दिया जाता है, वहीं ज़्यादातर गरीबों को होने वाले तमाम संक्रामक रोगों और बीमारियों को 'साधारण' मानकर नजरअंदाज़ किया जाता रहा है| निजी दवा कंपनियों के मुनाफे से चालित वैज्ञानिक अनुसंधान के चयनात्मक और पक्षपाती रवैये, तथा सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं और गरीबों को होने वाले रोगों को प्राथमिकता न देने के कारण ऐसा होता हैं| रोगों के विशिष्ट रोगहेतु कारकों का वैज्ञानिक विश्लेषण (Aetiology) न होने के कारण ज़्यादातर रोगों और खराब स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान और उनमें विभेदीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि रोगजनकों के विभिन्न उप-समूहों, उपभेदों, इत्यादि में भिन्नता को पहले की रूढ़ वर्गीकरण प्रणालियाँ समझ ही नहीं पाती| कई बीमारियों को बस एक साथ जोड़कर 'रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन' 'यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन', 'फ़ीवर ऑफ़ अननोन ओरिजिन', आदि जैसे सर्वसमावेशी श्रेणियों में डाल दिया जाता है| अक्सर यह रोग उन रोगों से ज्यादा संक्रामक और घातक होते हैं, जो प्रमुखता पाते है| अधूरी जांच के कारण ज़्यादातर मरीजों को सिर्फ लक्षणात्मक उपचार मिलता है, जिसके कारण रोग का फैलाव बना रहता है और लोगों की जानें जाती रहती हैं| विडम्बना है कि समाज में व्याप्त ज्यादा घातक और संक्रामक रोगों को नज़रअंदाज़ करते हुए, संगठित वामपंथ भी संभ्रांत तबकों की कोविड-19 के प्रति घबराहट को दोहराते हुए और उसे विशिष्ट प्रमुखता देते हुए पाया गया है|

जीव-विज्ञान के स्तर पर हम नोवेल कोरोनावायरस के वास्तविक या कथित खतरे की तुलना में कहीं ज्यादा विकट समस्याओं से जूझ रहे हैं| यहाँ सहरुग्णता के मुद्दे को पहचानना अत्यंत आवश्यक है| सहरुगुणता अर्थात संक्रामक रोगों का मिश्रण या संक्रामक रोगों और पहले से मौजूद चिकित्सीय समस्याओं के संभावित संयोजन की स्थिति, भारत की

बहुसंख्यक जनता को परेशान करती रही है| दरअसल, हमारी आबादी घोषित और अघोषित महामारियों, तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से उपजी असुरक्षित परिस्थितियों की नापाक सहक्रिया से लगातार शिकार हो रही है|

वामपंथ की वैचारिक स्वायत्तता के क्षरण ने एक ऐसी स्थिति को पैदा किया है जहाँ हम जनता की जरूरतों को समझने, उनकी आकांक्षाओं को ठोस संघर्षों में परिवर्तित करने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं| इस क्रांतिकारी परिस्थिति में क्रांतिकारी-कार्य केवल अमूर्त आह्वान करने, कभी-कभार मीडिया में कथन जारी करने और पुनरावृत्त अभियानों की रस्म-अदायगी तक ही सिमट कर रह गए हैं, और मेहनतकश जनता की अवस्थित प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह बेमेल साबित हो रहे हैं|

अपने-अपने संगठनात्मक जुड़ाव के कारण पृथक होने के बावजूद, क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति वफादारी रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से हम इस वर्तमान अशांत परिघटना में आगे आने के आह्वान की ज़रूरत समझते हैं| हालांकि, हम अपनी मौजूदा पार्टियों और संगठनों से अलग अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत की बात नहीं कर रहे हैं| परंतु, हमें क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति अपनी निष्ठा को सबसे प्रमुख स्थान देना होगा| क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति ऐसी निष्ठा हमें अपने संबंधित संगठनों में काम करते हुए भी एक सहयोग में आने की ज़रूरत के लिए मजबूर करती है| हम सम्पूर्ण समग्रता में मौजूदा संकट की परिघटना की पड़ताल की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी जमात भविष्य में अपने-अपने स्तर पर करेगी ही| हम केवल तात्कालिक कार्यों के निष्पादन के लिए पहलकदमी की ज़रूरत को इंगित कर रहे हैं| यह देखते हुए कि पार्टियों और संगठनों के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की पूरे देश में उपस्थिती है, उनकी एकजुट शक्ति अपने आप में एक विशाल सामाजिक-राजनीतिक ताकत है| उनको लामबंद कर जनता के संघर्षों को पुनर्जागृत और दिशा देने की पहलकदमी की सख्त ज़रूरत है| साथ ही, हमें समाज के उन सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक हिस्सों के साथ भी एकजुट होना चाहिए जो वास्तव में मेहनतकश जनता की दुर्दशा के बारे में चिंतित हैं और ठोस संघर्षों के लिए प्रतिबद्ध हैं|

हम सभी उत्पीड़न और शोषण आधारित व्यवस्था के खिलाफ दीर्घकालिक रणनीति मजबूत करते हुए अपने-अपने लंबे संघर्षों में लगे हुए रहेंगे| पर साथ ही, हमें तात्कालिक और ठोस कार्यों को भी निष्पादित करना होगा| हम आप सभी के साथ '10 बिन्दु' का कार्यक्रम साझा कर रहे हैं, ताकि महामारी-के साथ-लॉकडाउन से उपजे घटनाक्रम और प्रक्रियाओं के बरक्स अपने-आप को पुनर्व्यवस्थित कर अपने वर्तमान संघर्षों को सुप्रवाही बना सकें| इन 10 बिन्दुओं का न्यूनतम साझा कार्यक्रम कैसे ठोस मांगों और संघर्षों में कार्यान्वित होगा, यह कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तैयारी के साथ-साथ जमीनी वास्तविकताओं पर टिका हुआ है|

1. **पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की चिकित्सीय जरूरतों के लिए उचित तैयारी सुनिश्चित कराओ:** मौजूदा संकट ने यह साफ ज़ाहिर कर दिया है कि सरकार की इससे निपटने के लिए बिलकुल भी तैयारी नहीं थी| हमारे देश में न सिर्फ अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों (डॉक्टरों, नर्सों, सहायक स्वास्थ्यकर्मचारियों) की भारी कमी है, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों को मूलभूत सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं| गरीबों में कई लोग ऐसे हैं जो विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब लॉक-डाउन के मद्देनजर प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों तक उनकी पहुँच बहुत कम है| सार्वजनिक अस्पतालों में केवल आपातकालीन मामलों को छोड़कर ओपीडी सेवाओं जैसे नियमित कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं| मरीजों को आपातकालीन आईसीयू, लेबर रूम, तपेदिक (टीबी) वार्डों, आदि की कमी एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है| इस स्थिति में, हम देख रहे हैं कि

ज़्यादातर मरीजों की खराब स्वास्थ्य स्थितियाँ बदतर हो रही हैं| कोरोना से लड़ने के नाम पर हमें सरकार को अन्य रोगों की अनदेखी से रोकने की सख्त ज़रूरत है|

इस महामारी के दौर में यह बेहद ज़रूरी है कि अन्य रोगों की अनदेखी को रोका जाये, जो कोविड-19 के साथ मिलकर सहरुग्णता की स्थिति बनाकर लाखों मौतों का कारण बन सकते हैं| ऐसी परिस्थिति में, आम लोगों की सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा की ढांचागत संरचनाओं और स्वास्थ्यकर्मियों (डॉक्टरों, नर्सों, सहायक स्वास्थ्यकर्मचारियों) की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए| इस स्वास्थ्य आपातकाल से बाहर निकलने के लिए सरकार को निजी अस्पतालों और होटलों का इमरजेंसी वार्डों और क्वारेंटाइन सेंटरों के तौर पर पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए बाध्य करना चाहिए| अस्पतालों और क्वारेंटाइन सेंटरों में मरीजों के साथ बदसलूकी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें सजगतापूर्वक संघर्ष करना चाहिए|

2. **सजग रहो और 'रोग निगरानी कार्यक्रमों' के माकूल प्रचालन को सुनिश्चित कराओ:** कोविड-19 आने से पहले भी भारत में कई ज्ञात और बेनाम महामारियाँ हर साल लाखों लोगों की जानें लेती रही हैं| लिहाजा, हमारे देश में पहले से ही स्वास्थ्य संकट व्याप्त है जो कि कोविड-19 के साथ मिलकर और भी ज्यादा घातक होने की संभावना रखता है| ज़्यादातर समाज के गरीब हिस्से को होने वाली बीमारियों को सरकारी विशेषज्ञ, दवा की कंपनियाँ और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करती रही हैं, क्योंकि समाज के संभ्रांत हिस्से इनकी चपेट से दूर रहे हैं| इस संदर्भ में हमें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे 'इंटीग्रेटेड रोग निगरानी कार्यक्रम' की पड़ताल करनी चाहिए| तथाकथित तौर पर इस कार्यक्रम का काम रोगों की खोज व पहचान कर उनपर शोध करना है| परंतु, सरकार का यह रोग निगरानी कार्यक्रम बुरी तरह से असफल रहा है| इस संदर्भ में, हम सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था की तथाकथित विशेषज्ञता के भरोसे नहीं रह सकते|

   गरीब रोगियों के स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज की निगरानी के लिए हमें कार्य-दल या ऐसे अन्य सांगठनिक रूपों की तत्काल ज़रूरत है जो छात्रों, युवाओं, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और अन्य जन-संगठनों में अपने कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए लामबंद कर सकें| ऐसी सांगठनिक निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि मेहनतकश जनता की बीमारियों को यथोचित तरीके से क्लीनिकल केस माना जाये, और उनकी वांछित माइक्रोबायोलोजिकॉल (सूक्ष्मजीवविज्ञानी) तथा साइटोलॉजिकॉल (कोशिकाविज्ञानी) जांच हो| अपनी सजगता और समाज में व्याप्त रोगों के बारे में समयोचित सूचना प्रचारित कर कार्यकर्ताओं का कार्य-दल भविष्य के संघर्षों और अभियानों की ज़मीन तैयार करेगा| सिर्फ यही अभियान और संघर्ष सरकारी एजेंसियों पर उन रोगों की पहचान करने के लिए दबाव बना सकते हैं, जिनको वो नज़रअंदाज़ करती रही हैं और जिनके लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की ज़रूरत को वो नकारती रही हैं|

3. **सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करो:** रोगों की पहचान और उनका नियंत्रण करने में सरकार की आपराधिक लापरवाही रही है| रोगों की पहचान और इलाज विकसित होने के बावजूद भी हर साल लाखों लोग टीबी जैसे रोगों से मरते हैं| हमें आम जनता को लामबंद कर नागरिक स्वास्थ्य निगरानी कमिटियाँ बनानी चाहिए| यह कमिटियाँ जनता की सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँच, और उनको पर्याप्त

तथा समयोचित इलाज सुनिश्चित करा पाएँगी| साथ ही, हमें ऐसे अभियानों और संघर्षों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की सभी ढांचागत ज़रूरतें पूरी हों|

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में गैर-बराबरियों को देखते हुए, इस तरह के कदम बेहद महत्त्वपूर्ण हैं| जहां अमीर उच्च वर्ग बड़े, निजी अस्पतालों एवं विदेशों में इलाज का खर्च वहन कर सकते हैं, वहीं मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता सार्वजनिक-अस्पतालों पर निर्भर हैं| सस्ती स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर, लोगों के बहुसंख्यक हिस्से को सार्वजनिक अस्पतालों में बहुत ही उदासीन और निष्ठुर रवैया भुगतना पड़ता है| उनकी चिकित्सीय अवस्थिति की जांच में लापरवाही एक आम बात है| सार्वजनिक अस्पतालों की गंदी हालत और उनमें स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के कारण वो किसी बीमारी के इलाज से ज्यादा दूसरी बीमारियों से संक्रमित होने के गढ़ बन गए हैं| इन अस्पतालों की स्थितियों की कार्य-संबंधी निगरानी भी नहीं होती, क्योंकि अपनी वर्ग-आधारित उदासीनता के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी दफ़्तरशाही औपचारिकताओं में उलझे रहते हैं| दवा कंपनियों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और चिकित्सकों के गठजोड़ के कारण भी स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है| मरीजों पर एंटीबायोटिक एवं अन्य दवाओं के मनमाने प्रयोगों द्वारा केवल लक्षणात्मक उपचार के लिए यह गठजोड़ एक बड़ा कारण है| अक्सर ऐसे प्रयोगात्मक उपचार रोगियों का पूर्ण इलाज नहीं करते हैं, उल्टे उन्हें दवा-प्रतिरोधक बनाते हैं| इस तरह की दवाओं से रोग के लक्षण कुछ समय के लिए तो खत्म हो जाते हैं, मगर रोग फिर भी बना रहता है| बहुत बार रोगी संक्रामक ही रहता है और कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता, कुपोषण, आदि की स्थितियों के कारण दोबारा रोग-ग्रसित हो जाता है|

इसलिए, हमें तत्काल ऐसे अभियानों और संघर्षों की ज़रूरत है जो जनता के साथ-साथ प्रगतिशील डॉक्टरों, नर्सों और जन-स्वास्थ्यकर्मियों को लामबंद करें| साथ ही, हमें स्वास्थ्यकर्मियों के वास्तविक संघर्षों में भी आगे रहना होगा| यह संघर्ष 'सभी के लिए स्वास्थ्यसेवा' जैसी मध्यवर्ती मांगों से लेकर निजी अस्पतालों के राष्ट्रीयकरण तक कई मांगों के लिए ज़मीन तैयार करेंगे| महत्त्वपूर्ण तौर पर, हमें चिकित्सीय नौकरशाही के चंगुल से स्वास्थ्य संस्थानों का नियंत्रण और प्रबंधन छीनकर, उनपर जनता के नियंत्रण को स्थापित करना होगा|

4. **प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर-वापसी और सभी मेहनतकश जनता के लिए मूलभूत न्यूनतम आय का प्रावधान सुनिश्चित कराओ:** लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं| भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में 10 करोड़ अंतर्राज्यीय और 10 करोड़ अंतर-ज़िला मजदूर हैं| मजदूर वर्ग का यह हिस्सा लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है| असंवेदनशील शहरों में पैसे और खाने का कोई भी उपाय न होने के कारण, लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद यह हिस्सा अपने घरों को जाने को मजबूर हुआ| कुछ शहरों में ऐसे परेशान प्रवासी मजदूरों के जमावड़े से डरकर सरकारों ने कुछ मजदूरों-मात्र को घर पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण बहुसंख्यक मजदूर बिना किसी साधन के शहरों में ही फंसे रह गए| थकान और पुलिसिया बर्बरता के कारण मौत का शिकार हुए ऐसे तमाम मजदूरों की खबरें लगातार आ रही हैं| प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा राज्यों की सीमाएं सील किए जाने के कारण फंसे हुए हैं, और उन्हें ऐसे भीड़-भरे, बेहद गंदे शेल्टरों में डाल दिया गया है, जहां साफ शौचालय और पर्याप्त भोजन की विकराल समस्या है|

इसी तरह शहरों में पहले से रह रही व्यापक मजदूर आबादी गंदी बस्तियों में फंसी हुई है, जहाँ उसको सिर्फ कोविड-19 के संक्रमण का ही नहीं, बल्कि अन्य ऐसे रोगों से संक्रमण का खतरा है जो गंदगी के कारण पनपते हैं| ज्ञात हो कि शहर में कामगार आबादी पहले से ही रहने की जगह की कमी से जूझ रही है| झुग्गी इलाकों में प्रति व्यक्ति जगह 42 वर्ग फीट से भी कम होती है, जो जेलों में प्रति व्यक्ति अनुशंसित 96 वर्ग फीट की जगह से भी कम है| मजदूर बस्तियों और झुग्गियों में पानी, शौचालय की निरंतर समस्या है और भीड़-भरी स्थिति में लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है| ऐसी हालत में मजदूरों को शहरी झुग्गियों और शेल्टरों में रहने और काम पर लौटने के लिए मजबूर करना, उनके गांव जाने से ज्यादा खतरनाक कदम है| गांव में मजदूर भीड़-भाड़ से बचकर दूरी बनाकर रह सकते हैं और वहां उनके लिए तुलनात्मक रूप से शारीरिक दूरी बनाना भी आसान है|

इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें मजदूरों की सुरक्षित घर-वापसी की मांग का पूर्णतः समर्थन करना चाहिए| इसके अतिरिक्त, हमें सभी कामगार गरीब आबादी को तीन महीने की न्यूनतम आय दिये जाने के लिए अभियान और संघर्ष करना चाहिए| साथ ही, कामगारों के तीन महीने के किराये पर रोक लगाये जाने और सरकार द्वारा गरीब किरायेदारों को अपना किराया देने के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने हेतु अभियान व संघर्ष करना चाहिए|

5. **पूंजीवादी परोपकार का पर्दाफाश करो, हकदारी-आधारित देश के धन के पुनर्वितरण के लिए संघर्ष तेज़ करो:** कोविड-19 से निपटने के लिए, मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारों की संभ्रांत वर्ग और कॉर्पोरेटों से राहत कोष में योगदान देने की अपील शर्मनाक है| लॉकडाउन के दौरान मध्य-सोपान के सामाजिक उद्यमी भी परोपकारी राहत कार्यों में लगे हुए हैं| यह परोपकारी राहत कार्य इस गलत धारणा को ही मजबूत करते हैं कि संभ्रांत तबके द्वारा आपदा से बाहर निकालने के लिए कामगार गरीबों को उनका एहसानमंद होना चाहिए| इस धारणा को पुरजोर तरीके से खारिज करते हुए हमें कॉर्पोरेटों घरानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी कर लगाने की मांग करनी चाहिए| हमें अपने अभियानों और संघर्षों के माध्यम से धन-कर और उत्तराधिकार-कर की पुनःबहाली करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए|

   मजदूरों के बदहाल हालात और बढ़ रहे अभाव तथा भुखमरी के कारण देश में जगह-जगह खाने के लिए दंगे हुए हैं| खाने को लेकर बढ़ रहे दंगों के बीच, मध्यम-वर्गीय सामाजिक उद्यमियों ने दान-दया के काम को अपना ध्येय बना लिया है| ऐसे में अमीर परोपकार करने वाले बन गए हैं, मानो इस संकट से निकालने के लिए गरीब उनकी सहायता पर निर्भर हैं| समय की मांग है कि अपने श्रम से धन का निर्माण करने वाली मेहनतकश जनता को परोपकारी दान-दया के कार्यों के भरोसे न छोड़ दिया जाए| फ़ूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफ़सीआई) के भंडारगृह और गोदाम भरे पड़े है और स्थानीय किराना दुकानें भी लॉकडाउन के बावजूद खाद्यानों से भरी हुई हैं| देखा जाए तो असल में मेहनतकश जनता के पास कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और इसी कारण उसे सामान्य जरूरत के सामान को भी खरीदने में समस्या हो रही है|

   इस स्थिति में, हमें ऐसे जुझारू अभियान और संघर्ष करने चाहिए जिनकी मांग यह होनी चाहिए कि सरकार जिम्मेदारी से कामगार जनता तक राशन और अन्य आवश्यक चीजें पहुंचाए, क्योंकि उसकी देश के धन पर मूल हकदारी है| आज जब सरकार ने जनता की मूल जरूरतों को पूरा करने से हाथ खींच लिए हैं, तब हमें खाने को

लेकर दंगों जैसी घटनाएँ देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रही हैं| ऐसी परिस्थितियों में, कई जगह पथ-भ्रष्ट कार्यकर्ताओं और उच्च-वर्गों से परोपकारी दान के टुकड़े पाने के लिए मजदूरों की आपसी झड़पें भी हो रही है| ऐसे परोपकार व दान-कार्य मेहनतकश जनता की सामूहिक कारवाई की संभावना खत्म करने का काम करते हैं| हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसी उग्र स्थितियाँ और इनसे उपजी जन-कार्रवाईयाँ सरकार को मेहनतकश जनता की जरूरतों पर ध्यान देने को मजबूर करती है|

6. **राज्य की अमीरों के बचाव की नीति का पर्दाफ़ाश करो और मेहनतकश जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करो:** मध्यकाल में यूरोप में उपजी काली मौत महामारी में क्वारेंटाइन शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका मतलब 40 दिन होता है| यात्रा से आए नाविकों को 40 दिनों के लिए तट से दूर रहना होता था, जिनपर किसी बीमारी से संक्रमित होने का संदेह होता था| सरकार ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना तरीके से यह जानते हुए कि वो कोविड-19 के वाहक हैं विदेश से लौट रहे अमीरों को देश वापस आने की खुली छूट दी, और लाखों मजदूरों, मेहनतकशों के जीवन, जीविका और स्वतंत्रता को संकट में दाल दिया| लॉकडाउन के दौरान, मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को घर से ही काम करने और मेहनतकशों द्वारा पैदा की गयी धन-संपदा के साथ आराम से जिंदगी बिताने की छूट दी गयी है, जबकि महामारी के दौरान मजदूरों को असुरक्षित कार्यस्थलों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है| हमें पता है कि कार्यस्थलों में सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं होता है, और बेहद कम संख्या होने के कारण काम के बोझ-तले दबे लेबर निरीक्षकों द्वारा इनके निरीक्षण में लापरवाही व्याप्त रहती है| इन कार्यस्थलों में मालिकों की तानाशाही एक आम बात है| साथ ही, कार्यस्थलों पर कामगारों को कोरोना-संक्रमण होने पर भी मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं करने के हालिया बयान ने सरकार के निजी पूंजी के साथ गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया है| साफ है कि संक्रमित होने की सभी चिंताएं केवल अमीरों के लिए हैं, जबकि गरीब बदहाल हालात में भी काम करने को मजबूर किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के लिए उनका जीवन तुच्छ महत्व रखता है| लॉकडाउन में छूट के नाम पर सरकार के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश किया जाना चाहिए| ऐसे में, हमें अपनी ताकतों को लामबंद कर अपने अभियानों और संघर्षों के माध्यम से सरकार के ऐसे कदमों का डटकर विरोध करना होगा|

7. **मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) एवं अन्य दमनकारी कदमों का विरोध करो:** हालांकि लॉकडाउन को 3 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा 19 अप्रैल को जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) ने अंतर्राज्यीय यात्रा पर प्रतिंबंध लगाते हुए राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों के आवागमन की अनुमति दी है| इस SOP के अनुसार, शहरों में शेल्टरों में रहने वाले प्रवासी कामगारों में कोरोना के लक्षणों की जांच की जाएगी, और उनके कौशल का मूल्यांकन कर उन्हें काम दिया जाएगा| देश की अर्थव्यवस्था में मजदूरों के योगदान को अनदेखा किया जा रहा है| लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ज़रूरत का सभी सामान मुहैया कराने की जगह उनको अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी से वंचित करने की सरकारी मंशा इससे साफ प्रदर्शित होती है| अब मजदूरों के पास यह दुविधा है कि वो या तो मजबूरन काम करें और खुद की जान खतरे में डालें, या राहत के कुछ टुकड़ों से भी हाथ धोलें| यह अनुदेश सीधे शब्दों में बलपूर्वक कराई जा रही बंधुआ मजदूरी है|

सरकार द्वारा मजदूरों का कौशल नापना और मनमाने तौर से काम पर लगाना, निजी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और उसके मुनाफे को बढ़ाने का ही कदम है| इस कदम द्वारा सरकार ने शर्मनाक तरीके से आढ़तिया का किरदार निभाया है और यह साबित कर दिया है कि उसे मजदूरों के मूलभूत अधिकारों के लिए नाम-मात्र की भी चिंता नहीं है| इस अनुदेश ने मजदूरों का अधिकार छीनते हुए, उन्हें पूँजीपतियों के इशारों की कठपुतली बना दिया है, जिनके आदेश पर वो इधर-से-उधर भेजे जाएंगे, मगर उनको अपने गाँव-घर जाने की आज़ादी नहीं है| मजदूरों को रोज़ काम पर ले जाने के 'बोझ' को खत्म करने के लिए उनके लिए फ़ैक्टरियों में ही सोने का इंतेजाम किया जा रहा है, और शेल्टरों में रह रहे उनके परिवारों से भी उन्हें दूर करने का क्रूर कार्य किया जा रहा है| साथ ही, राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे उत्पीड़क प्रावधान लाये जा रहे हैं| कारख़ाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम की आपातकालीन ताकतों का इस्तेमाल कर विभिन्न सरकारों ने काम के घंटों को 12 घंटे कर दिया है| और-तो-और, गुजरात सरकार ने तो मजदूरों के ओवरटाइम वेतन के अधिकार को भी छीन लिया है| यह संभावना है कि इन अधिनियमों के प्रावधानों का दुरुपयोग कर कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों को जनोपयोगी प्रतिष्ठान घोषित कर मजदूरों के सभी तरह के प्रतिरोधों को भी आपराधिक बना दिया जाये| इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों की राहत के लिए कोई भी जमीनी ठोस कदम नहीं उठा रही हैं, और सिर्फ मालिकों से मजदूरों का वेतन न काटने की खोखली अनुशंसा कर रही हैं|

हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जहां तीर्थयात्रियों और अमीर परिवारों के छात्रों को घर पहुँचाने के लिए तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, वहीं प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है| साथ ही, मजदूरों के स्वास्थ्य की चिंता को अनदेखा कर, राज्य-पूंजी गठजोड़ द्वारा उन्हें मुनाफा बनाने के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले भेजे जाने का इंतेजाम किया जा रहा है| सीधे-तौर पर यह कदम कामगारों के सभी अधिकारों का हनन है| हमें SOP को तुरंत वापस लिए जाने और अन्य दमनकारी कदमों के खिलाफ अभियान और संघर्ष करने चाहिए, ताकि मजदूरों का घर वापस जाना संभव हो सके| साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर काम करना चाहते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा और सभी मूलभूत अधिकार मुहैया हों|

8. **आर्थिक पैकेज के धोखे को खारिज करो और नई आर्थिक नीति की मांग करो:** कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की परिघटना के पहले से ही देश में एक भयानक आर्थिक संकट चल रहा है| बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है| लॉकडाउन के कारण मेहनतकश जनता की खराब स्थिति अब दयनीय हो चुकी है|

   इस महामारी के बीच भी देश के कॉर्पोरेट घरानों द्वारा 'मुनाफा पहले, समाज अंतिम' के ध्येय को अपनाया जा रहा है| सरकार जनता के दुख-दर्द के प्रति पूरी तरह से निष्ठुर है, क्योंकि उसने जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वह पहले से चल रही योजनाओं की एक री-पैकेजिंग है| यह विशेष रूप से शर्मनाक है क्योंकि देश के कॉर्पोरेटों को वर्तमान बजट में दी गयी भारी टैक्स-छूट की तुलना में यह आर्थिक पैकेज बहुत ही कम है| इसलिए हमें सरकार द्वारा घोषित किए गए इस आर्थिक पैकेज को खारिज करना चाहिए, और इसके बजाय एक नई आर्थिक नीति की मांग करनी चाहिए जिसमें अभिजात वर्ग और कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे के लिए आमजनों के स्वास्थ्य, आजीविका और संपूर्ण देखरेख को ताक पर न रख दिया जाए| हमें अनौपचारिक क्षेत्र के अति-शोषित मजदूरों के लिए विशेष प्रावधानों की मांग पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए| साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

खेतिहर मेहनतकश जनता के लिए विशेष कदम उठाए जाएँ, और जनजातीय, घुमंतू तथा सामाजिक रूप से हाशिए के तबकों के लिए विशेष प्रावधान लाये जाएँ|

9. **दक्षिणपंथी कुप्रचार पर प्रतिक्रिया से इनकार कर, वर्ग-आधारित राजनीति को मजबूत करो:** महामारी पर हो रही मौजूदा बहस का आधार सक्रिय रूप से दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा तय किया जा रहा है, जो लॉकडाउन के मजदूरों पर दुष्प्रभाव से ध्यान हटाकर भारत में कोविड-19 महामारी को सांप्रदायिक रंग देना चाहती हैं| इस प्रकार उदारवादी-वामपंथी राजनीति के मुद्दे काफी हद तक दक्षिणपंथी ताकतों के द्वारा तय किए जा रहे हैं, और केवल संवैधानिक नैतिकता का सहारा लेकर दक्षिणपंथी ताकतों की प्रतिक्रिया/ जवाब देने तक ही उनकी राजनीति सीमित हो गई है| दक्षिणपंथी प्रचार से छद्म-धर्मनिरपेक्ष लड़ाई में फंसने से हमें बचने की ज़रूरत है| इसके स्थान पर अमीर/गरीब विभाजन पर जोर देना चाहिए, जिससे हम दक्षिणपंथी राजनीति के सामाजिक आधार को अपने साथ लाने में सक्षम हो सकें| हमें उच्च और मध्यम वर्ग के आरामदायक जीवन और लॉकडाउन के दौरान भूख से मर रहे गरीबों के बीच विरोधाभास पर दक्षिणपंथियों को जवाब देने के लिए मजबूर करना चाहिए| बुनियादी वर्ग-विरोधाभासों को उठाकर ही हम दक्षिणपंथी राजनीति के सामाजिक आधार को खत्म कर सकते हैं और उसकी अंतिम हार सुनिश्चित कर सकते हैं|
10. **आम लोगों के दमन के खिलाफ संघर्ष तेज़ करो:** लॉकडाउन के दौरान कामगारों को भोजन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है| नतीजतन, लॉकडाउन के दौरान नागरिक-पुलिस संघर्ष बढ़ा है| इस दौरान हमने व्यापक रूप से पुलिस और राज्य व्यवस्था की क्रूरता को देखा है| लॉकडाउन का पालन कराने के बहाने आम लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों को भी दबाया जा रहा है और विभिन्न प्रतिरोधों को आपराधिक घोषित किया जा रहा है| प्रगतिशील बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वामपंथी और जन-अधिकार कार्यकर्ताओं का चुनकर दमन किया जा रहा है| महामारी और लॉकडाउन के दोहरे संकट ने आयु, लिंग, जाति, क्षेत्र, यौनिकता और समुदाय पर आधारित उत्पीड़न को भी बढ़ाया है| इसलिए, हमें बच्चों, गरीब छात्रों, महिलाओं, निशक्तों, एवं अन्य सामाजिक उत्पीड़ितों और हाशिये के समुदायों के अधिकारों को लेकर संघर्षों में अग्रिम कतारों में रहना होगा| हमें लोकतांत्रिक अधिकारों के इस तरह से कुचले जाने के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और आम लोगों के दमन के खिलाफ अपने एकजुट संघर्ष को मजबूत करना चाहिए|

न भूलेंगे, न माफ करेंगे!

मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के जीवन, जीविका और स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष तेज़ करो!

क्रांतिकारी एकजुटता के साथ|

हस्ताक्षर/-

संग्राम

एआईसीसीसीआर के लिए

संपर्क: allindiacccr@gmail.com, aicccr.01@gmail.com

(अनुवादित, मूल अंग्रेज़ी में)